राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 210 /2024

निगिरत-

दिनांक- 01/05/2024

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:— प्र.सं. 210 / 2024 अनवान घीसा पुत्र मांगया बैरवा निवासी भीलड़ी, रायमल पुत्र मांगया बैरवा निवासी भीलड़ी, सरजू पत्नी मांगया बैरवा निवासी भीलड़ी बनाम सोजीराम पिता नारायण रेगर निवासी भीलड़ी, सोराज पिता नारायण जाट निवासी भीलड़ी, रामदयाल पिता रामस्वरूप जाट निवासी भीलड़ी, प्रहलाद पिता देवकरण जाट निवासी भीलड़ी, गोकुल पिता रामा रेगर निवासी भीलड़ी, प्यारचंद पिता कल्याण बैरवा निवासी भीलड़ी, बन्ना पिता जगन्नाथ जाट निवासी भीलड़ी, जगदीश पिता सोमकरण निवासी भीलड़ी, बालू पिता कजोड़ बैरवा निवासी भीलड़ी, गोपाल पिता रूपा बैरवा निवासी भीलड़ी, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम भीलड़ी प.ह. टीटोड़ी आराजी सं. 454, 736/1, 748/2, 759/3, 779/3, 836/2, 838/2, 839/2, 867/1, 871/2, 872/2, 874/1, 884/829 कुल किता 13 रकबा 2.1691 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

घीसा पुत्र नानगा बैरवा निवासी भीलड़ी वगैरह

बनाम

सोजीराम पिता नारायण रैगर निवासी भीलड़ी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 210 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुवे
01-05-24	प्रार्थना पत्र सिने से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम भीलड़ी प.ह. टीटोड़ी आराजी सं. 454, 736/1, 748/2, 759/3, 779/3, 836/2, 838/2, 839/2, 867/1, 871/2, 872/2, 874/1, 884/829 कुल किता 13 रकबा 2.1691 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम भीलड़ी प.ह. टीटोड़ी आराजी सं. 454, 736/1, 748/2, 759/3, 779/3, 836/2, 838/2, 839/2, 867/1, 871/2, 872/2, 874/1, 884/829 कुल किता 13 रकबा 2.1691 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	